

YL 0006709739

GOVERNMENT OF BIHAR
e-Court Fee

DATE & TIME : 17-SEP-2022 10:50:53
NAMES OF THE ACC/ REGISTERED USER : SAHAJ RETAIL LIMITED
LOCATION : CIVIL COURT MUZAFFARPUR
e-COURT RECEIPT NO : BRCT171
e-COURT FEE AMOUNT : ₹ 10

BOOK No. 01 SLNO. 138
Date 19 SEP 2022



BRCT17182223K179

Statutory Alert : The authenticity of this e-Court fee receipt should be verified at www.shcilestamp.com. Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority. This receipt is valid only after verification & locking by the Court Official.



प्रपत्र-ख (2)

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर समर्थक द्वारा दिये जाने वाला

शपथ-पत्र

मैं कुमारी बिन्मी सिंह पिता/पति गुनील कुमार
उम्र 42 वर्ष, *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर प्रचायत नगर निगम
के वार्ड संख्या 38 मोहल्ला राजा हट्टा नरसिंह पोस्ट रसना थाना सिठौनपुरा
जिला मुजफ्फरपुर बिहार का निवासी हूँ, तथा शपथ पूर्वक घोषणा करती/करते हूँ:-

कि मैं *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर प्रचायत नगर निगम
के वार्ड संख्या 38 से *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने
वाले अभ्यर्थी राधा कुमारी का समर्थक हूँ,

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के उपबन्धों से एवं बिहार नगरपालिका
निर्वाचन नियमावली के नियम 42(2) के प्रावधानों से पूर्णतः अवगत हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली के नियम 42(2) एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम,
2007 की धारा 18 के तहत *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर प्रचायत नगर निगम
के वार्ड 38 से *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद के प्रस्तावक/समर्थक बने रहने के लिए
अनर्हित नहीं हूँ:

*कि मेरे ऊपर कोई आपराधिक मामला देश के भीतर या बाहर के किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

या

*मेरे ऊपर आपराधिक मामलों से संबंधित सूचनाएँ (सुस्पष्ट एवं पठनीय, क्रमांक देते हुए) निम्नवत है:

1. देश के भीतर या बाहर के न्यायालय का नाम जहाँ आपराधिक मामला लंबित है- शून्य
2. वाद संख्या- शून्य
3. आरोप की प्रकृति एवं लगाई धाराएँ- शून्य

कुमारी बिन्मी सिंह

स्थान- मुजफ्फरपुर Deponent Identified
तारीख- 19.09.2022 Advocate has Solemnly declared

समर्थक का हस्ताक्षर

*जो लागू नहीं हो उसे हटा दें।

नोट : कार्यपालक दण्डाधिकारी/नॉटरी पब्लिक/आपराधिक मामलों के अधिकारी द्वारा शपथ ली जाएगी।

MUJSAFFARPUR (P)

19/9/22